


'गति शक्ति' से घट रही लागत

मंत्री पीयूष गोयल बोले – लॉजिस्टिक सुधार से उद्योगों को बड़ा लाभ

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'प्रधानमंत्री गति शक्ति मिशन' देश के बुनियादी ढांचे को रूपांतरित कर रही है और लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार ला रही है. इस मिशन के चलते अब इसके ठोस परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देने लगे हैं.

भारत मंडपम में पीएम गति शक्ति मिशन की चौथी वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि वर्षों से भारत की प्रतिस्पर्धा के लिए चुनौती बनी लॉजिस्टिक लागत अब घटने लगी है. उन्होंने बताया कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में

मिशन बना योजनाबद्ध विकास का प्रमुख साधन



गोयल ने बताया कि पिछले चार वर्षों में पीएम गति शक्ति मिशन ने मंत्रालयों, राज्यों और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का एक प्रभावी उपकरण बनकर उभरना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा, अब हर कोई इस पहल से लाभ उठा सकता है. इसका प्रभाव दैनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है.

यह स्पष्ट हुआ है कि विशेष रूप से लास्ट माइल कनेक्टिविटी में सुधार के कारण लॉजिस्टिक लागत में उल्लेखनीय कमी आई है. गोयल ने बताया कि पहले उद्योगों को सामग्री के परिवहन में टुक से रेल और फिर रेल से टुक जैसे कई चरणों में बदलाव करना पड़ता था,

जिससे समय और संसाधनों की हानि होती थी. अब खनन क्षेत्रों और विद्युत संयंत्र स्थलों पर प्रत्यक्ष रेलवे साइडिंग्स बनने से यह समस्या काफी हद तक समाप्त हो गई है. उन्होंने कहा, खनन स्थल और बिजली संयंत्रों पर सिर्फ अंतिम चरण की कनेक्टिविटी

सुधारने से ही बिजली उत्पादन की लागत पर बड़ा प्रभाव पड़ता है क्योंकि लॉजिस्टिक खर्च घट जाता है. इससे उद्योगों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होता है.

डिजिटल उपकरणों से और मजबूत होगा मिशन – कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने मिशन को – और सशक्त बनाने के लिए नए डिजिटल टूलस लॉन्च किए. इसमें एकीकृत भू-स्थानिक इंटरफेस शामिल है, जो आम नागरिकों को गति शक्ति डेटाबेस तक सार्वजनिक पहुंच को सुविधा देगा. साथ ही, एक बहु-क्षेत्रीय रिपोर्टिंग प्रणाली भी शुरू की गई है, जिससे मिशन के क्षेत्रवार विकास पर प्रभावी की निगरानी की जा सकेगी.

फॉक्सकॉन करेगी तमिलनाडु में 15 हजार करोड़ का निवेश

चेन्नई. वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माता कंपनी फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु में अपने उन्नत प्रौद्योगिकी निर्माण कार्यों के विस्तार के लिए 15 हजार करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है.

इस निवेश से राज्य में 14 हजार उच्च मूल्य वाले रोजगार सृजित होंगे, जिनमें अधिकतर अवसर इंजीनियरिंग स्नातकों और कुशल युवाओं के लिए होंगे. राज्य सरकार की निवेश संवर्द्धन एजेंसी गाइडेंस तमिलनाडु ने जाकारी दी कि यह निर्णय फॉक्सकॉन और तमिलनाडु सरकार के बीच दीर्घकालिक औद्योगिक साझेदारी को और मजबूत करेगा. मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन से मुलाकात के बाद निर्णय – यह घोषणा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन और फॉक्सकॉन के भारत प्रतिनिधि रॉबर्ट वू के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल को बैठक के बाद की गई. इस दौरान राज्य के उद्योग मंत्री टी. आर. बी. राजा भी उपस्थित रहे. बैठक में फॉक्सकॉन ने राज्य की औद्योगिक व्यवस्था पर भरोसा जताया और भारत में प्रौद्योगिकी आधारित विनिर्माण को गति देने की प्रतिबद्धता दोहराई. भारत का पहला फॉक्सकॉन डेस्क बनेगा तमिलनाडु में – राज्य सरकार ने बताया कि फॉक्सकॉन द्वारा गाइडेंस तमिलनाडु कार्यालय में देश का पहला फॉक्सकॉन डेस्क स्थापित किया जाएगा.

सब्जियां और दालें हुई सस्ती

नई दिल्ली. सितंबर 2025 में आम जनता को महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है. खुदरा महंगाई दर गिरकर सिर्फ 1.54 प्रतिशत पर आ गई, जो कि जून 2017 के बाद का सबसे निचला स्तर है. इससे पहले आस्त में यह 2.07 प्रतिशत थी. खाते-पीने को चीजों जैसे सब्जियों, दालों, फलों और खाद्य तेलों के दामों में गिरावट से ये राहत देखने को मिली है. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, फूड इनफ्लेशन सितंबर में -2.28 प्रतिशत रहा, जो दिसंबर 2018 के बाद का सबसे कम स्तर है. आरबीआई ने भी महंगाई के अनुमान को कम करते हुए अब 2025-26 के लिए इसे 2.6 प्रतिशत पर रखा है. इससे आर्थिक स्थिरता और आम आदमी की जेब दोनों को राहत मिलने की उम्मीद है.

खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 99 महीने के निचले स्तर पर

नयी दिल्ली, 13 अक्टूबर. सब्जियों और दालों की कीमतों में भारी गिरावट के कारण सितंबर में उपभोक्ता मूल्य पर आधारित मुद्रास्फीति (खुदरा महंगाई दर) 99 महीने के निचले स्तर पर आ गयी. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, सालाना आधार पर सितंबर में खुदरा महंगाई की दर 1.54 प्रतिशत रही जो जून 2017 के बाद का निचला स्तर है.

इससे पहले, अगस्त 2025 में खुदरा महंगाई दर 2.04 प्रतिशत दर्ज की गयी थी. इस दौरान खाद्य मुद्रास्फीति शून्य से 2.28 प्रतिशत नीचे रही जो दिसंबर 2018 के बाद सबसे कम है. अगस्त में यह शून्य से 0.64 प्रतिशत नीचे रही थी.

सोने की कीमतों में बंपर उछाल

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर 2025. धनतेरस से पहले भारत में सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं. त्योहारों के इस शुभ मौके पर देशभर में सोना खरीदने की होड़ मच गई है, जिससे बाजार में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमतों में तेजी बनी हुई है. चेन्नई में 24 कैरेट सोना 12,573 प्रति ग्राम तक पहुंच गया है, जबकि दिल्ली में इसकी कीमत

12,555 प्रति ग्राम दर्ज की गई है. मुंबई, पुणे, भोपाल और अहमदाबाद जैसे प्रमुख शहरों में भी गोल्ड रेट 12,540-12,545 प्रति ग्राम के बीच है. वहीं, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के भाव में भी लगातार तेजी बनी हुई है. बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक अनिश्चितता, डॉलर में उतार-चढ़ाव और घरेलू मांग की वजह से कीमतें चढ़ रही हैं.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

(CIN-L65110TN2014PLC097792)

रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेन्नई, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स : +914445644022

वित्तीय आदित्यों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुविधाएं प्राप्त की हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के उधार उनकी संबंधित संघिनियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि ये संबंधित उधार समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके उधार को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार परंपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर अगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित निधियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्र.	उधार खाता संख्या	उधार का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस का अनुसार बचत राशि
1	50356600	संचित के बदले उधार	17.09.2025	2,62,506.12/-

उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के नाम: 1. राम प्रसाद मंत्री 2. नारायण राम प्रसाद

संपत्ति का पता: अचल संपत्ति (आवासीय भवन) का वह प्लॉट टुकड़ा और पार्सल जिसका माप 39x39=1521 वर्ग फुट (141.356 वर्ग मीटर) है, सर्वेक्षण संख्या/आवासीय खसरा संख्या 213 के आधार, फोन नंबर 125 (20) पर स्थित, गाँव: मेरुखेडी, तहसील: च्यावरा, जिला: राजगढ़, म.प्र.-465674, और सीमाएँ: पूर्व: हेमराज, पश्चिम: कॉमन रोड, उत्तर: प्रेमनारायण, दक्षिण: दिनेश

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित निधियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अनागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकारकान की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूली के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एएएफआरएफआरआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)। इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत विक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुविधित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक: 14.10.2025
स्थान: राजगढ़

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

SKI-HI Institute of Education

Affiliated to Barkatullah Vishwavidyalaya, Bhopal
Village: Thuna kalan, PO: Pachama, Dist.: SEHORE (MP) 466001

FACULTY RECRUITMENT

Applications invited for appointments at teaching posts in B.Ed course under college code 28 norms of Barkatullah Vishwavidyalaya Bhopal.

S.No.	Post	Qualification	Work Exp.	No. of Positions
01	Principal	PhD in Education, M.Ed & PG degree in Arts/ Sciences/ Social Sciences/ Comm	08 years in B.Ed college	01
02	Lecturer (Foundation courses)	M.Ed. & PG degree in Social Sciences OR M.A. (Education), and B.Ed./ B. Ed. Ed.	-	03
03	Lecturer (Pedagogy C)	M.Ed., and, PG degree in Sciences/ Mathematics/ Social Sciences/ Languages	-	07
04	Lecturer	P.G. degree in Sociology/ Psychology/ Philosophy, and, B.Ed./ B. Ed. Ed.	03 years in sec. school	02
05	Physical Education Teacher	M. P. Ed.	-	01
06	Fine Arts Teacher	M. F. A.	-	01
07	Music Teacher	PG degree in Music/ Dance/ Theatre Arts	-	01

- Minimum 55% marks pre-requisite eligibility criteria in Each degree for all posts.
- Pay scale as per MP State Government norms.
- Interested candidates may e-mail resume to skyhighsociety2007@gmail.com
- Shortlisted candidates shall be notified within 7 days.

कच्चा नोटिस

जबकि, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारों ने वित्तीय आदित्यों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13 (2) के साथ नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं को मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें उधारकर्ताओं से अनुग्रह किया गया है कि वे संबंधित नामों के समक्ष उल्लिखित राशि को, उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर, उक्त नोटिस में उल्लिखित लागू रेट पर ब्याज सहित, और भुगतान और/या वसूली की तिथि तक किए गए धन की आकस्मिक व्यव, लागत, शुल्क आदि सहित चुका दें।

क्र. सं.	उधार संख्या	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/ गारंटर/बंधककर्ता	13(2) नोटिस दिनांक/ बचत राशि (रुपये में)	दिनांक/समय और कर्ज का प्रकार	
30579420000678 45499430000797 & 30579410000267	1)	श्री सैम अली मोल्ला, अंसार अली मोल्ला के पुत्र, 2) श्रीमती नरसिमा परचन वैयम, पत्नी सैम अली मोल्ला	21.07.2025, ₹. 16,37,583.78 (सिवल सहित) लाख सैतिस हजार पाँच सौ तिरासी और अठसह पैसे 13.07.2025 तक	दिनांक: 11.10.2025 समय: सुबह 11:25 प्रतीकात्मक कच्चा	
सुरक्षित संपत्तियों का विवरण:	संपत्ति: प्लॉट संख्या 10 पर निर्मित आवासीय प्लॉट संख्या इ-2 (तीसरी मंजिल) का पूरा हिस्सा, कुल क्षेत्रफल 465 वर्ग फुट (43.21 वर्ग मीटर), निर्माण सहित, बाई संख्या 23, आइए.ए.एम. ईटिखेडी सड़क, विकास खंड केंद्र, तहसील हुजर और जिला भोपाल (मध्य प्रदेश)। सीमा: पूर्व में स्काई ब्लो रोड, पश्चिम में फ्लैट संख्या B-3, उत्तर में अन्य फ्लैट और दक्षिण में फ्लैट संख्या B-1 और कार्रिडोर।	1)	श्री दीपक, पुत्र हरि सिंह, 2) श्रीमती चंचा बाई, पति हरि सिंह, 3) श्री हरि सिंह, पुत्र रामचरण	28.07.2025, ₹. 4,69,553.97 (चार लाख उनतर हजार पाँच सौ तिरपण और सत्तानवे पैसे मात्र) 23.07.2025 तक	दिनांक: 11.10.2025 समय: दोपहर 12:50 प्रतीकात्मक कच्चा
सुरक्षित संपत्तियों का विवरण:	खसरा संख्या 182 का वह प्लॉट टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 0.08 एकड़ (8 ससमलच) और 323.86 वर्ग मीटर है, ग्राम बररखा सड़क, पुलिस चौकी संख्या 04, आर.एम.एम. ईटिखेडी सड़क, विकास खंड केंद्र, तहसील हुजर और जिला भोपाल (मध्य प्रदेश) में स्थित है। पूर्व में सड़क, पश्चिम में राकेश मीणा की भूमि, उत्तर में सरकारी भूमि और दक्षिण में श्री शिवचरण के मकान से घिरा है।	1)	श्री दीपक/अद्वुला	दिनांक: 11.10.2025 समय: दोपहर 12:50 प्रतीकात्मक कच्चा	

चूंकि, ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता देय राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, इसलिए विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को सुरक्षित किया जाता है कि जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारों ने उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों को उक्त नियमों के साथ उपरोक्त उधार पर अपने कर्जों में से लिया है। विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं/गारंटर/बंधककर्ताओं और आम जनता को एतद्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे उपरोक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और उक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों से संबंधित कोई भी लेन-देन जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अंतर्गत होना चाहिए।

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी,
जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के लिए

दिनांक: 14.10.2025

JANA SMALL FINANCE BANK (A Scheduled Commercial Bank)

पंजीकृत कार्यालय: द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वेक्षण संख्या 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, डोम्पर के पास, कोरमंगला इनर रिंग रोड, इंडीएल विजनेस पार्क के बगल में, चल्हचट्टा, बेंगलूर-560071। शाखा कार्यालय: प्लॉट संख्या 131/01, भूतल, संपीपी जय संजीव 2, भोजपुर (मध्य प्रदेश)-462011

भविष्य में कर्मचारियों के लिए पंजीकरण अभियान

नयी दिल्ली, 13 अक्टूबर. सरकार ने कर्मचारी भविष्य योजना में छूटे हुए पात्र श्रमिकों के पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है जो पहली नवंबर से अगले साल 30 अप्रैल तक चलाया जाएगा. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि यह अभियान सामाजिक सुरक्षा के तहत ऐसे कर्मचारियों के नामांकन को बढ़ावा देगा और नियोजकों को पिछले रिकॉर्ड को नियमित करने में मदद करेगा जिनका नाम किसी वजह से ईपीएफ में शामिल होने से रह गया है. ईपीएफओ में पंजीकृत नियोजकों उन सभी मौजूदा कर्मचारियों का नामांकन कर सकते हैं, जो पहली जुलाई, 2017 से 31 अक्टूबर, 2025 के बीच प्रतिष्ठान की नौकरी में जुड़े हैं किंतु किसी भी कारण से पहले ईपीएफ योजना में नामांकित नहीं हुए हैं.

आगे बढ़ेगा भारत और कनाडा संबंध

आर्थिक, रणनीतिक और लोगों के बीच संबंधों पर रहेगा फोकस – जयशंकर

दोनों देशों के बीच साझेदारी को पुनर्जीवित करने पर हुई चर्चा

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को पदभार संभालने के बाद अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर आई कनाडा की नई विदेश मंत्री अनीता आनंद का स्वागत किया.

द्विपक्षीय वार्ता के दौरान जयशंकर ने कहा कि भारत, कनाडा के साथ सकारात्मक मानसिकता के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने को उत्सुक है, जैसा कि इस वर्ष की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी के साथ अपनी मुलाकात में संकेत दिया था.

सहयोग की दृष्टि पर हुई चर्चा



जयशंकर ने बताया कि विदेश मंत्री आनंद ने सोमवार सुबह प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की, जहां प्रधानमंत्री ने सहयोग की दृष्टि और इसे साकार करने के सवाीतम तरीके की रूपरेखा व्यक्तित रूप से प्रस्तुत की. उन्होंने दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों, विदेश और व्यापार मंत्रालयों के बीच हुई व्यापक चर्चाओं पर प्रकाश डाला. जयशंकर ने कनाडा की ओर देखते हुए कहा, हम एक पूरक अर्थव्यवस्था, एक ओर खुला समाज, विविधता और बहुलवाद देखते हैं. हमारा मानना है कि यही एक घनिष्ठ, टिकाऊ और दीर्घकालिक सहकारी ढांचे का आधार है.

राष्ट्रीय राजधानी में हुई प्रगति कर रहे हैं. उन्होंने कहा, हम द्विपक्षीय बातचीत के दौरान अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाने के जयशंकर ने टिप्पणी की कि लिए आवश्यक तंत्रों को बहाल पिछले कुछ महीनों में भारत-कनाडा द्विपक्षीय संबंध लगातार काम कर रहे हैं.

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

Securities and Exchange Board of India

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
सेबी भवन - 11, प्लॉट सं. सी-7, "जी" ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पू.) - 400051, दूरभाष - 40449000 / 40459000
निविदा (टेंडर) सं.: सेबी/एओ/आईटी/सीएससी/2025/10/01

सेबी में 'नेस्ट वनेशन सिस्टीमेट्री ऑपरेशन सेंटर - नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर (एनओसी-एनओसी) और सुरक्षा से जुड़े दूसरे सिस्टीमेट्री ऑपरेशन से संबंधित प्रोजेक्ट के संबंध में सेबी निविदा (ओपन टेंडर) के जॉए 'प्रस्ताव हेतु निवेदन' (आरएफपी) आमंत्रित करता है। इस संबंध में समस्त जरूरी दिशानिर्देशों और सम-सीमाओं की जानकारी के लिए कृपया सेबी की वेबसाइट (www.sebi.gov.in) पर 'निविदाएं' ('Tenders') शीर्षक के अंतर्गत दिया हुआ आरएफपी सं. SEBI/HO/ITD/CSC/2025/10/01) देखें।

कृपया अपने प्रस्ताव इस लिंक पर प्रस्तुत करें: <https://www.mtcecommerce.com/eprcon>
CBC 15204/11/0174/2526

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी, बेगमगंज, जिला रायसेन

क्रमांक/720/सिड-1
बेगमगंज, दिनांक 23/7/2025

उद्योगपणा

(धारा-6 भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत)

एतद द्वारा सर्व संबंधित एवं समाविश्यों ग्राम हासिली, प.ह.नं. 7, ग्राम पंचायत हसिली, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन को सूचित किया जाता है कि निर्माणाधीन भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के अनुसार मध्यप्रदेश शासन ने आरक्षित वन घोषित करने का विनिश्चय किया है. तदनुसार की अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 28/8/1970 को प्रकाशित की जा चुकी है, जिसमें वन की स्थिति एवं सीमाएं विनिर्दिष्ट की गई हैं. यह भूमि आरक्षित हो जाने पर किसी भी प्रकार का खदल, प्रवेश, उपग्रह, मार्ग एवं वर्राई अधिकार, वनोपार्क संबंधी अधिकार, उल्लंघन संबंधी अधिकार, कृषि आदि जीविकोपार्जन अधिकार बंद एवं प्रतिबंधित हो जावेगा. उल्लंघन होने पर भारतीय वन अधिनियम 1927, वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं अन्य सुसंगत वन विधियों व विधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी. अतः एतद द्वारा अपेक्षा की जाती है कि इस उद्योगपणा के प्रकाशन दिनांक से तीन माह के अंदर कोई भी या समस्त हितग्राही व्यक्ति, पक्षकार आदि उपरोक्त कार्यालय में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी बेगमगंज, जिला रायसेन के समक्ष उपस्थित होकर अपने अधिकार, दावाकर्तृ प्रतिकार, स्वतः आदि बावत प्रमाणों, दस्तावेजों सहित लिखित सूचना, आपत्ति आदि प्रस्तुत करें तथा प्रमाणित करें. उक्त अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा.

उद्योगपणा आज दिनांक 23/7/2025 को मेरे हस्ताक्षर से जारी.
अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) बेगमगंज, जिला रायसेन (म.प्र.)

G19973/25

कार्यालय नगरपालिका परिषद सीहोर, जिला सीहोर (म.प्र.)

क्र.सं.	वा.क्र.	भवन क्र.	आवेदन दिनांक	हस्तांतरणकर्ता का नाम	हस्तांतरित का नाम	संपत्ति का नाम, स्थान, पता	नामांकरण का आधार
1	21	00	02/09/25	दिनेश सोलंकी / सिद्धार्थ सोलंकी	रामस्वयं सा./नंदराम सा	हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सीहोर	रजि., म.प्र. निर्माण विकास मंडल भोपाल
2	23	00	03/09/25	मो.तेजव अली / मो. हाफिज अली	मतलुब अली/ मो. हाफिज मेहमूद अली	पीठा क्षेत्र, मंडी सीहोर	रजिस्ट्री
3	23	00	03/09/25	तेजव अली/ मो. हाफिज मेहमूद अली	आमना बेगम/स्व.अमीर खान	पीठा क्षेत्र, मंडी सीहोर	रजिस्ट्री, नजुल नामांतरण
4	06	159	05/09/25	रेखा/ जयदीप जयसवाल	चंद्रप्रकाश/ रामचंद्र असनानी	पल्टन परिया, सिंधी कॉलोनी सीहोर	रजिस्ट्री, नजुल नामांतरण
5	09	00	09/09/25	बाबूलाल परमार/ नाथपुत्र	सुमित सिंह बैस/ रणधीर सिंह	चाणवपुरी, मुरली सीहोर	रजिस्ट्री, तहसील नामांतरण
6	28	00	10/09/25	हरी नारायण/ मोदालाल लोहरी	किरण सोनी/ राजेन्द्र सोनी	पारस गुलाब वाटिका सीहोर	रजिस्ट्री, नजुल नामांतरण
7	15	166	10/09/25	राजेंद्र कुमार/ जगन्नाथ प्रसाद राठौर	राजेंद्र कुमार/ बालकृष्ण राठौर	राठौर महल्ला, मंडी सीहोर	रजिस्ट्री, नजुल नामांतरण
8	09	15	10/09/25	रमेशचंद्र/ मांगीलाल	नितिन शब्य/ सुभाषचंद्र/ उमेश कु./ नंद कुशवाह	पोस्ट ऑफिस कॉलोनी सीहोर	रजिस्ट्री
9	29	430	10/09/25	सुदर्शन राय/ सोहनलाल राय	प्रियंका नामदेव/ गीरव नामदेव	पारस गुलाब वाटिका सीहोर	रजिस्ट्री
10	08	160	10/09/25	चंद्र सिंह/ घासीराम	दीपक मिश्रा/ रामेश्वर दयाल मिश्रा/ मन्ना मिश्रा/ दीपक मिश्रा	चाणवपुरी सीहोर	रजिस्ट्री, खसरा
11	27	405	15/09/25	स्व.एन.उददीनी/स्व.अमीर उददीनी	जर्नीना बेगम/ स्व.एन.उददीनी, सलाम उददीनी, कानाम उददीनी, फैजान उददीनी, सुजाउददीनी, अरफाक उददीनी, खदीजा बेगम/मुताज हुसैन सलैह बेगम/ फिजान उददीनी	कबाड खाना सीहोर	रजिस्ट्री, नजुल नामांतरण
12	33	234	15/09/25	अ.अजीज/शेख नथ्या	मो., लियकत/अद्वुत सतार	जामनपुरा कस्बा सीहोर	रजिस्ट्री, नजुल नामांतरण
13	21	1295	16/09/25	शिव प्रसाद/ पञ्जालाल भावसार	कृष्णा प्रजापति/ भगवत नारायण दाम	संतोष नगर सह निर्माण सहकारी संस्था मुरली सीहोर	रजिस्ट्री, खसरा
14	19	1688	16/09/25	एस.आर.रियल एस्टेट कम्पनी सुदर्शन रा			